न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थितः दुर्गेश
(एच० जे० एस०)
जे० ओ० कोड–1626

दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका संख्या–94 सन् 2025

CNRNo-UPSN010022002025

वशिष्ठ नरायन तिवारी उम्र त 0 47 वर्ष पुत्र स्व 0 भुईधर तिवारी, निवासी उगापुर, थाना औराई, जनपद भदोही।

. .....पुनरीक्षणकर्ता।

बनाम

1. उ. प्र. राज्य।
2. विनय कुमार शुक्ला उम्र 25 वर्ष पुत्र विन्ध्यवासिनी
निवासी बॉसदेवपुर, मुक्तापुर, थाना औराई, जनपद भदोही।

..... प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।

निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही–ज्ञानपुर द्वारा प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या–17851 सन् 2025 (विनय कुमार शुक्ला बनाम उ 0 प्र 0 राज्य) में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 10.07.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है।
3. पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता का प्रमुख रुप से यह अभिकथन है कि प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत आदेश नहीं है। प्रश्नगत आदेश तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के प्रतिकूल है। प्रश्नगत आदेश के यथावत रहने से न्याय के उद्देश्य विफल होंगे।
4. वहीं दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रश्नगत आदेश को विधि सम्मत आदेश बताया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा पुनरीक्षण याचिका को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।
5. विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–10.07.2025 के माध्यम से वाहन संख्या–यू0 पी0 65 पी0 टी0 5376 को पंजीकृत स्वामी शुक्ला ट्रेडर्स के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का निर्देश दिया गया है।
6. पुनरीक्षणकर्ता वशिष्ठ नरायन तिवारी का प्रमुख रुप से यह तर्क है कि वह तथा प्रत्यर्थी संख्या–2 विनय कुमार शुक्ला द्वारा ''शुक्ला ट्रेडर्स'' के नाम से फर्म का गठन किया गया था, जिसमें उसकी हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है। इसलिये वाहन संख्या–यू0 पी0 65 पी0 टी0 5376 को उसके पक्ष में अवमुक्त किया जाना चाहिये। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क के सम्बन्ध में न्यायालय का सुविचारित मत यह है कि इस प्रश्न का निर्धारण न तो दाण्डिक न्यायालय और न ही पुनरीक्षण न्यायालय ही कर सकती है कि ''शुक्ला ट्रेडर्स'' नामक फर्म में किस सहभागी/भागीदार का कितना अंश है।
7. प्रस्तुत मामले में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा प्रश्नगत वाहन को ''शुक्ला ट्रेडर्स'' के पक्ष में इस आधार पर अवमुक्त किये जाने का निर्देश दिया गया, क्योंकि पंजीकरण प्रमाणपत्र में वाहन स्वामी के रुप में ''शुक्ला ट्रेडर्स'' का नाम अंकित है। इसी प्रकार फर्म के भागीदारों के मध्य परिसम्पत्तियों के विभाजन का निर्णय भी न तो दाण्डिक न्यायालय और न ही पुनरीक्षण न्यायालय ही कर सकती है।
8. अतः यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश को पारित करने में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत आदेश है।

तदनुसार पुनरीक्षण याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

9. पुनरीक्षण याचिका संख्या–94 सन् 2025 निरस्त की जाती है।

10. विद्वान–विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित–10.07.2025 की पुष्टि की जाती है।

दिनांकः–23.07.2026

(दुर्गेश)
अपर सत्र न्यायाधीश,
भदोही– ज्ञानपुर।
जे.ओ. कोड यू.पी.–1626

11. उपरोक्त निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–23.07.2026

(दुर्गेश)
अपर सत्र न्यायाधीश,
भदोही– ज्ञानपुर।
जे.ओ. कोड यू.पी.–1626

Digitally signed by DURGESH
Date: 2026.07.25 12:20:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court